प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 13.11.2026,

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मा0न्यायालय श्रीमान ACJM-13 प्रतापगढ़ महोदय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट मु0नं0 476/2005 अ0सं0- 172/02 बनाम हरिकेश पासी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ संबंधित गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त हरिकेश पासी पुत्र बृजलाल उम्र करीब 65 वर्ष नि0ग्राम बोर्रा, थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
हरिकेश पासी पुत्र बृजलाल उम्र करीब 65 वर्ष नि0ग्राम बोर्रा, थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:
उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह रि0का0 सुशील कुमार,थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट (एससीएसटी न्यायालय) जनपद प्रतापगढ द्वारा जारी NBW वारंट सेशन केस संख्या 469/05 राज्य सरकार बनाम पप्पू उर्फ कमलेश मु0अ0सं0-260/97 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ संबंधित गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त लाल बहादुर पुत्र रमई सरोज निवासी रैयापुर धोनी का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
अभियुक्त लाल बहादुर पुत्र रमई सरोज उम्र 50 वर्ष निवासी रैयापुर धोनी का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम:
उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव मय हमराह का विवेक यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अनुभव बिन्द गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 दीपक राजभर, रि0का0 पृथ्वी सिंह, का0 आर्यमन सिंह, रि0का0 अरविन्द कन्नौजिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोखुर्दकला (मदरा तालाब के किनारे) के पास एक अभियुक्त अनुभव बिन्द पुत्र महाजन बिन्द उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बैरमपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- अनुभव बिन्द पुत्र महाजन बिन्द उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम बैरमपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या 20 के Old Complaint Cases/849/2019 सुधा बनाम पंकज 000/2019 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ संबंधित गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त पंकज तिवारी पुत्र स्व0 रामलखन तिवारी निवासी ग्राम लखराव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
पंकज तिवारी पुत्र स्व0 रामलखन तिवारी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम लखराव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:
उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह का० अमित कुमार यादव व का० रामनिवास यादव ,थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 दीपक राजभर, रि0का0 पृथ्वी सिंह, का0 आर्यमन सिंह, रि0का0 अरविन्द कन्नौजिया थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने से नाबालिग बालक की मृत्यु के अभियोग में 01 अभियुक्त असफाक अहमद गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने से नाबालिग बालक की मृत्यु के अभियोग में 01 अभियुक्त असफाक अहमद गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम चमरूपुर पठान थाना जेठवारा द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 18.10.2026 को विपक्षीगणों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के तहत उनके दो नाबालिग पुत्रों को कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ (जमालगोटा) मिलाकर पिलाया गया, जिससे छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई तथा बड़ा पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। विपक्षीगणों द्वारा इलाज हेतु धनराशि देने, डराने-धमकाने एवं सामाजिक दबाव बनाने के कारण उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी जा सकी। वर्तमान में भी विपक्षीगणों द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 336/26 धारा 105/61(2)/351(2) बीएनएस बनाम अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना जेठवारा के वरि0उ0नि0 एसानुलहक मय हमराह हे0का0 शोभनाथराम, का0 सूरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 336/26 धारा 105/61(2)/351(2) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त असफाक अहमद पुत्र महबूब अली उम्र 58 वर्ष नि0 चमरुपुर पठान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत हारी का पुरवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
असफाक अहमद पुत्र महबूब अली उम्र 58 वर्ष नि0 चमरुपुर पठान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ ।
पुलिस टीम का विवरण-
वरि0उ0नि0 एसानुलहक मय हमराह हे0का0 शोभनाथराम, का0 सूरज कुमार ,थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।